



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

www.pssou.ac.in, E-mail - registrar@pssou.ac.in

क्रं. 832 / अकादमी / फीस वापसी / 25,


बिलासपुर, दिनांक 29/08/2025

// अधिसूचना //

इस विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रं. 673/अकादमी/फीस वापसी/24, दिनांक 03/10/2024 के द्वारा कार्यपरिषद् की बैठक संख्या 22/नियमित/2024, दिनांक 28/09/2024 के प्रस्ताव क्रमांक 04 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के "शुल्क वापसी नियम, 2024-25" (D.O. No. F. 2-71/2022 (CPP-II) (C-114546) Date 12 June, 2024) को संलग्नानुसार अंगीकृत करते हुये, इस विश्वविद्यालय के लिये तत्काल प्रभाव से लागू किया गया था।

विश्वविद्यालय एतद द्वारा, अकादमिक सत्र 2025-2026 के लिये उक्त अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से लागू करता है।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

आदेशानुसार  
  
(भुवन सिंह राज)  
कुलसचिव

पृ. क्रं. 833 / अकादमी / फीस वापसी / 25,  
प्रतिलिपि -

बिलासपुर, दिनांक 29/08/2025

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002
3. सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. कुलपति के निज सचिव/कुलसचिव के निज सहायक को कुलपति महोदय/कुलसचिव के सूचनार्थ।
5. परीक्षा नियंत्रक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वित्त अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. क्षेत्रीय सेवा प्रभाग, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. प्रभारी वेब सेल को इस निर्देश के साथ कि इसे विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करें।
9. प्रभारी, अकादमी विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. नस्ती हेतु।

  
कुलसचिव